IJAER/ Jan-Feb 2023/Volume-12/Issue-1 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

# राजस्थान में राजनीतिक भागीदारी में महिला सशक्तिकरण

**रमेश सिंह**

शोधार्थी,महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर

**डॉ.आलोक कुमार श्रीवास्तव**

आचार्य - राजनीति विज्ञान (राज. महा.अजमेर)

महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय- अजमेर

**सार**

*यह पेपर महिलाओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान देने के साथ, भारत के राजस्थान में चुनावी राजनीति की गतिशीलता की जांच करता है। ऐतिहासिक पितृसत्तात्मक मानदंडों और पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं के बावजूद, शासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, यह पेपर महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में जिन बाधाओं का सामना करना पड़ा है और उन्हें दूर करने के लिए अपनाई गई रणनीतियों की पड़ताल करता है। यह चुनावी निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विधायी सुधारों और सकारात्मक कार्रवाई उपायों के प्रभाव का विश्लेषण करता है। राजस्थान की चुनावी राजनीति में महिलाओं की भूमिका को समझना राज्य के लोकतांत्रिक परिदृश्य और भारत में लैंगिक समानता के व्यापक निहितार्थ का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के अनुभवों और चुनौतियों की जांच करके, यह पेपर लिंग और राजनीति पर चर्चा में योगदान देता है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। महिलाओं की भागीदारी पर मात्रात्मक डेटा को मापना आसान है और भारत में राजनीतिक भागीदारी के लिए लिंग आंकड़े दर्ज करने का एक लंबा इतिहास है। चुनौती महिलाओं की वास्तविक भागीदारी को मापने और जमीनी स्तर पर प्रचलित प्रॉक्सी भागीदारी की समस्या को दूर करने की है। ऐसे उपाय तैयार करने के प्रयास किए जा रहे हैं जो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की सही तस्वीर पेश करेंगे।*

***मुख्य शब्द:*** *सशक्तिकरण, महिला, राजनीतिक,* लोकतांत्रिक, राज्यसभा, चुनाव

**परिचय**

भारतीय राज्य राजस्थान, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविध जनसांख्यिकी के साथ, देश में चुनावी राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, राजस्थान में चुनावों में बदलती गतिशीलता देखी गई है, जो भारतीय लोकतंत्र में व्यापक रुझानों को दर्शाती है। इस विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू चुनावी प्रक्रियाओं और राजनीति में बड़े पैमाने पर महिलाओं की बढ़ती भागीदारी है। राजस्थान में चुनावी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी एक परिवर्तनकारी यात्रा से गुजरी है, जो चुनौतियों और प्रगति दोनों से चिह्नित है। ऐतिहासिक रूप से, भारत के कई हिस्सों की तरह, राजस्थान में भी पितृसत्तात्मक मानदंडों और पारंपरिक लिंग भूमिकाओं की विशेषता रही है, जो अक्सर सक्रिय राजनीतिक भागीदारी से महिलाओं को हाशिए पर रखती है। हालाँकि, हाल के दशकों में, लैंगिक असमानताओं को दूर करने और शासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। यह पेपर महिलाओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान देने के साथ, राजस्थान में चुनावी राजनीति की गतिशीलता का पता लगाने का प्रयास करता है। यह राज्य में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के ऐतिहासिक संदर्भ में गहराई से उतरेगा, उनके सामने आने वाली बाधाओं और उन्हें दूर करने के लिए अपनाई गई रणनीतियों की जांच करेगा। इसके अलावा, यह चुनावी निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विधायी सुधारों और सकारात्मक कार्रवाई उपायों के प्रभाव का विश्लेषण करेगा। राजस्थान की चुनावी राजनीति में महिलाओं की भूमिका को समझना न केवल राज्य के लोकतांत्रिक परिदृश्य को समझने के लिए आवश्यक है, बल्कि भारत में लैंगिक समानता और समावेशी शासन के व्यापक निहितार्थों का आकलन करने के लिए भी आवश्यक है। राजस्थान के राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं द्वारा सामना किए गए अनुभवों और चुनौतियों की जांच करके, इस पेपर का उद्देश्य भारत में लिंग और राजनीति पर चल रहे प्रवचन में योगदान देना और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करना है।

**राजनीतिक परिदृश्य:**

राजस्थान में ऐतिहासिक रूप से दो प्रमुख राजनीतिक दलों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का वर्चस्व रहा है। दोनों पार्टियों को राज्य में महत्वपूर्ण चुनावी सफलताएँ मिली हैं, अक्सर वे सत्ता में बारी-बारी से आती रही हैं।

**महिलाओं की भागीदारी:**

मतदाताओं में महिलाओं की बड़ी हिस्सेदारी होने के बावजूद, चुनावी राजनीति में, विशेषकर उम्मीदवारों के रूप में, उनकी भागीदारी तुलनात्मक रूप से कम रही है। हालाँकि, स्थानीय निकायों (पंचायती राज संस्थानों) में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। इस आरक्षण प्रणाली से जमीनी स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है।

**महिलाओं के लिए आरक्षण:**

कई अन्य भारतीय राज्यों की तरह, राजस्थान में भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जैसे स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। यह आरक्षण महिलाओं को स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए एक मंच प्रदान करने में सहायक रहा है।

**चुनौतियाँ:**

महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के प्रयासों के बावजूद, अभी भी पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण, पर्याप्त समर्थन संरचनाओं की कमी और सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ जैसी चुनौतियाँ हैं जो महिलाओं को चुनाव लड़ने या राजनीतिक पद संभालने से रोकती हैं। इसके अतिरिक्त, महिलाओं को अक्सर अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में फंडिंग, अभियान और संसाधनों तक पहुंच से संबंधित बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

**पहल:**

विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठन इन चुनौतियों का समाधान करने और राजस्थान में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। इन पहलों में क्षमता निर्माण कार्यक्रम, नेतृत्व प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान और राजनीति में महिलाओं के लिए अधिक अनुकूल माहौल बनाने के लिए नीति सुधारों की वकालत शामिल है।

**प्रभाव:**

चुनावी राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से महिलाओं और हाशिये पर रहने वाले समुदायों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर अधिक ध्यान देने के साथ अधिक समावेशी और प्रतिनिधि शासन हो सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि महिला नेता अक्सर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और स्वच्छता जैसे सामाजिक कल्याण के मुद्दों को प्राथमिकता देती हैं, जिसका समग्र विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

**भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी:-**

भारत में महिलाओं की स्थिति में प्राचीन काल से ही कई उतार-चढ़ाव देखे गए हैं - प्राचीन इतिहास में बराबरी की स्थिति से लेकर मध्यकाल के दौरान पर्दे में रहने (पर्दा प्रथा) तक। स्वतंत्र भारत में, महिलाओं की स्थिति फिर से मजबूत हुई और तब से इसमें वृद्धि हो रही है। स्वतंत्र भारत में महिलाएँ लगभग सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों, रोजमर्रा के घरेलू कामों, बेहतर प्रशासन के लिए मतदान और सक्रिय राजनीति में भी भाग ले रही हैं। भारत ने एक महिला प्रधान मंत्री, इंदिरा गांधी और एक महिला राष्ट्रपति, प्रतिभा पाटिल को चुना है। वर्तमान केंद्र सरकार में, विदेश, वाणिज्य और मानव संसाधन विकास जैसे विभागों के साथ भारतीय मंत्रिमंडल में 7 या लगभग 27 चौथाई महिलाएं शामिल हैं।

**राजस्थान में महिला प्रस्थिति**

' राजस्थान ', राजाओं के निवास के प्रान्त को स्थानीय साहित्य में ' रायथान ' कहते थे। इसी का संस्कृत रूप राजस्थान बना। राजस्थान के समाज में प्राचीन काल से महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं रही। समाज में संयुक्त परिवार तथा पितृसत्तात्मकता का प्रचलन रहा। प्राचीन काल में समाज में महिलाओं को शिक्षा मध्यम तथा राजपरिवारों में दी जाती थी। 15 वीं शताब्दी के जावर के शिलालेख में महाराणा कुम्भा की पुत्री रमाबाई के संगीतज्ञ एवम् हिन्दुशास्त्रविद होने के प्रमाण है। मीराबाई हिन्दू दर्शन एवम् काव्य रचना में निपुण थी। राजस्थान में कई साहित्यिक ग्रन्थ ऐसे है , जिनको राजकुमारियां , समृद्ध परिवार की स्त्रियाँ तथा रानियाँ नियमित रूप से पढ़ती थी। मध्यम वर्ग की स्त्रियाँ भी शिक्षा में रूचि लेती थी। साधारण दासियों द्वारा लिखे गये पत्र बीकानेर अभिलेखागार में सुरक्षित है , जो कि इस बात का प्रमाण है कि इस वर्ग में महिलाएं विद्याध्ययन में रूचि रखती थी , परन्तु फिर भी समाज में स्त्री शिक्षा कम लोकप्रिय थी। राजस्थान में समाज में बहुपत्नी प्रथा तथा कन्या वध का भी प्रचलन था। उन्नीसवीं सदी में राजपूतों के लिए आवश्यक दहेज जुटा पाना कठिन होने के कारण समाज में कन्यावध की प्रथा को प्रोत्साहन मिला। कर्नल टॉड के अनुसार राजपूतों में जागीरों के छोटे - छोटे टुकड़ों में बंटने तथा पुत्रियों के लिए उचित दहेज देने में असमर्थता कन्या वध का प्रमुख कारण रही। राजस्थान में कन्या को अफीम देकर मारने का भी प्रचलन रहा। राजस्थान में अंगेजी राज की स्थापना के पश्चात् सर्वप्रथम 1834 ई . में कोटा राज्य में कन्या वध को अवैध घोषित किया।पप राजस्थान में महिलाओं पर डाकन का आरोप लगाकर मार डालने की प्रथा का भी प्रचलन रहा है। कोटा राज्य में यह काफी प्रचलित थी।

आज भी समाज में इस प्रथा का प्रचलन है। सर्वप्रथम 1853 में उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा को अवैध घोषित किया गया। इस समाज में सती प्रथा , बालविवाह का भी अत्यधिक प्रचलन रहा है। राजस्थान में आज भी अक्षय तृतीय पर बालविवाह होते है , जबकि स्वतंत्र भारत में उसके विरूद्ध कानून है। राजस्थान के समाज में महिलाओं को पुरूषों के समान स्थान प्रदान नहीं किया गया। राजस्थानी समाज में प्रचलित व्रत तथा त्यौहार जैसे गणगौर , हरतालिका तीज , कजली तीज आदि के द्वारा महिलाओं व कन्याओं को समाज में पित्रसत्तात्मक व्यवस्था को अवचेतन रूप में स्वीकृत करवाया जाता है। विवाह के पश्चात् करवाचैथ व्रत के द्वारा महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना करते हुए पति के उच्च स्थान को स्वीकार करती है।

राजस्थान में समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी न होने के बावजूद भी स्वतंत्रता आन्दोलन में महिलाऐं क्रियाशील रही। बीकानेर की खेत बाई , जयपुर की नारंगी देवी , अजमेर की गीता बाई , कोटा की रामप्यारी आदि ऐसी महिलाएं थी जिन्होने राष्ट्रीय आन्दोलन में राजस्थान की 31 महिलाओं का नेतृत्व किया। राजस्थान में अभिजात्य वर्ग के जननेताओं के परिवार की महिलाओं की राजनीति में सहभागिता रही। राजस्थान के समाज में महिलाओं को पुरूषों के समान स्थान प्रदान नहीं किया गया। राजस्थानी समाज में प्रचलित व्रत तथा त्यौहार जैसे गणगौर , हरतालिका तीज , कजली तीज आदि के द्वारा महिलाओं व कन्याओं को समाज में पित्रसत्तात्मक व्यवस्था को अवचेतन रूप में स्वीकृत करवाया जाता है। विवाह के पश्चात् करवाचैथ व्रत के द्वारा महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना करते हुए पति के उच्च स्थान को स्वीकार करती है।

समाज में महिला पुरूष के मध्य श्रम विभाजन भी महिलाओं को दोयम दर्जा प्रदान करता है। समाज में आज भी कन्या भ्रूण हत्या का प्रचलन है। 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरूषों पर 926 महिलाएँ है। आज भी महिलाएँ समाज में हिंसा , पर्दाप्रथा आदि का सामना कर रही है। राजस्थान में महिलाओं में शिक्षा की धीमी गति है , राजनीति में महिला सहभागिता बहुत कम है। हाड़ौती क्षेत्र से 2009 के लोकसभा चुनावों में मात्र दो महिलाऐं ही प्रत्याशी थी। केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर महिला विकास हेतु कदम उठाये जाते रहे है , परन्तु फिर भी राजनीति में महिलाओं की संख्या बहुत कम है।

**नारीवाद**

प्रत्येक समाज में उच्चता व निम्नता का विचार स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहा है तथा यही विचार समाज में महिलाओं के सम्बन्ध में भी विद्यमान रहा है। इस विचार को चुनौती नारीवादी विचारधारा द्वारा दी गई। नारीवाद का प्रमुख उद्देश्य पितृसत्ता को चुनौती देना है। गर्डा लर्नर के अनुसार परिवार में महिलाओं और बच्चों पर पुरूषों के वर्चस्व की अभिव्यक्ति और संस्थागतकरण तथा सामान्य रूप से महिलाओं पर पुरूषों के सामाजिक वर्चस्व का विस्तार है। इसका अभिप्राय यह है कि समाज के सभी महत्वपूर्ण सत्ता प्रतिष्ठानों पर पुरूषों का नियंत्रण रहता है और महिलाएं ऐसी सत्ता तक पहुंच से वंचित रहती है। नारीवाद एक विचारधारा है , जो कि समानता पर आधारित है। नारीवाद के अनुसार महिलाओं को भी समाज में पुरूषों के समान वैधानिक , राजनैतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इस विचारधारा में महिला व पुरूष में विद्यमान असमानता का विरोध किया गया है। इनके अनुसार जेंडर का संबंध संस्कृति से तथा लिंग का संबंध प्रकृति से है। महिला व पुरूष के मध्य असमानता प्राकृतिक आधार पर नहीं वरन् असमान शक्ति संबंधों के कारण है जो कि समाज द्वारा स्वीकृत है। इस विचारधारा के अनुसार पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत महिला व पुरूष को निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया है। महिलाओं का संबंध निजी क्षेत्र अर्थात् वे शक्तिहीन है तथा पुरूषों का संबंध सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात् शक्ति तथा निर्णय प्रक्रिया से है। नारीवादी आन्दोलन के इतिहास की शुरूआत मूलतः फ्रांस की क्रांति से हुई।

**महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता**

राजनीतिक क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण के लिए महिलाओं की राजनीति में सहभागिता को बढ़ाना आवश्यक है। महिलाओं की न्यून राजनीतिक सहभागिता विभिन्न अध्ययनों का विषय रही है क्योंकि राजनीति निर्णय निर्माण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जहाँ कि राजनेताओं द्वारा लिए गए निर्णय समाज को प्रभावित करते है। राजनीति में शक्ति निहित है , जो कि अन्य सामाजिक संस्थाओं ( परिवार , शिक्षा आदि ) पर विधि के द्वारा अपने निर्णयों को लागू करती है। राजनीतिक पद पर आसीन व्यक्ति के पास सत्ता केन्द्रित होती है , जो कि उसे समाज के लिए वैधानिक निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है।

विश्व स्तर पर महिलाओं की राजनीति में सहभागिता बहुत कम है। महिलाएं विश्व की आबादी का आधा भाग है , लेकिन राजनीतिक स्तर पर राष्ट्रीय संसद में उनकी सहभागिता पचास प्रतिशत भी नहीं है। इस तथ्य को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी विभिन्न सम्मेलनों में उठाया गया है तथा इस बात पर बल दिया गया कि महिला व पुरूष का राजनीति में प्रतिनिधित्व समान अनुपात में होना चाहिए।

व्यक्ति की राजनीतिक सक्रियता की प्रेरणा क्या है ? किसी देश में राजनीतिक प्रवेश की प्रथम सीढ़ी केवल राजनीतिक दल की सदस्यता प्राप्त करना ही नहीं है वरन् महिला / व्यक्ति के राजनीति में प्रवेश के लिए प्राथमिक स्तर पर महिला में राजनीतिक महत्वकांक्षा का होना जरूरी है। द्वितीय , राजनीतिक दल द्वारा समर्थन प्राप्त करना , तृतीय - प्रतिनिधि के रूप में जनमत का समर्थन तथा चतुर्थ स्तर पर महिलाएं राष्ट्रीय / स्थानीय विधायिकाओं में प्रवेश करती है। नोरिस ने महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता का मॉडल दिया है , जिसे माटलैन्ड द्वारा परिष्कृत किया गया है। माटलैण्ड के अनुसार महिलाओं में राजनीति में प्रवेश के लिए राजनीतिक महत्वकांक्षा , संसाधन होने जरूरी है तथा राजनीतिक दल द्वारा चुनावों में उम्मीदवार के रूप समर्थन प्राप्त होना चाहिए तथा अंतिम चरण के रूप में मतदाता द्वारा मत देकर विधायक के रूप में चुना जाना चाहिए।

**महिला सशक्तीकरण**

सशक्तीकरण एक बहुआयामी धारणा है। इसका सम्बन्ध व्यक्ति की सामाजिक उपलब्धियों , आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता से जुड़ा होता है। सशक्तीकरण एक सतत् प्रक्रिया है जिसका सम्बन्ध निर्णय लेने की क्षमता , लोकतान्त्रिक माध्यम से दूसरों की धारणाओं को बदलने की क्षमता , परिवर्तन के सम्बन्ध में सकारात्मक सोच आदि से है। बाटलीवाला ( 1994) के अनुसार , सशक्तीकरण का अर्थ संसाधनों ( भौतिक तथा बौद्धिक ) तथा विचारधारा पर नियंत्रण से है। यह मौजूदा शक्ति सम्बन्धों को चुनौती देने की और शक्ति के स्त्रोत पर अधिक नियंत्रण पाने की प्रक्रिया है अर्थात् सशक्तीकरण का तात्पर्य शक्ति की वृद्धि से है। सुषमा सहाय ( 1998) के अनुसार सामान्य रूप से सशक्तीकरण का अर्थ शक्ति के पुनर्वितरण से है , जो कि पुरूष प्रभुत्ता और पित्रसत्तात्मक विचारधारा को चुनौती देता है। महिला सशक्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शक्ति निहित है अर्थात् समाज में परंपरागत रूप से चली आ रही अन्यायपूर्ण स्थितियों का तर्क की दृष्टि से विरोध करने व निर्णय लेने की क्षमता या सामथ्र्य है। महिला सशक्तीकरण संसाधनों पर नियंत्रण अथवा शक्ति हासिल करने और महिलाओं द्वारा निर्णय लेने की क्षमताओं पर बल देती है। महिला सशक्तीकरण की पहल सर्वप्रथम 1985 में नेरोबी में सम्पन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में की गयी थी। इसके बाद विश्व के सभी भागों में इसने एक आन्दोलन का रूप ले लिया। महिला सशक्तीकरण का सामान्य अर्थ महिला को शक्तिसम्पन्न बनाना है। जबकि विशिष्ट अर्थ में समाज की शक्ति संरचना में महिला के पद स्थिति को सुद्धारण प्रदान करना है। अर्थात् महिला सशक्तीकरण का अर्थ महिलाओं में वैधानिक , सामाजिक , राजनीतिक सभी क्षेत्रों में निर्णय लेने की स्वायत्तता से है।

1995 में बीजिंग में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी इस बात पर बल दिया गया कि समाज में विकास , शांति व समानता के लिए आवश्यक है कि महिलाऐं सशक्त हो तथा समानता के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता हो। अतः सशक्तीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें महिलाऐं विकास की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सहभागी होती है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार द्वारा संविधान में 73 वें तथा 74 वें सविधान संशोधन द्वारा पंचायतीराज तथा नगर निकायों में आरक्षण प्रदान किया गया है , ताकि राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाया जा सके। अतः सशक्तीकरण एक सतत् प्रक्रिया है जो समाज में सामाजिक , आर्थिक , राजनीतिक , सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समानता तथा स्वायत्त रूप से निर्णय लने की प्रक्रिया में सक्षम बनाती है।

महिला सशक्तीकरण को मापने के लिए विभिन्न अध्ययनों में शिक्षा , संसाधनों पर नियंत्रण और उनकी सुलभता , आत्मनिर्भरता , सम्मान , अधिकारों के लिए संघर्ष , शक्ति , स्वतंत्रता , स्वायत्तता , निर्णय लेने की क्षमता के सन्दर्भ में महिला की शक्ति आदि सूचकों का प्रयोग किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ( UNDP ) की मानव विकास रिपोर्ट ( HDR ) 1995 में मानव विकास के दो सूचकांक : लिंग आधारित विकास सूचकांक तथा लिंग आधारित सशक्तीकरण सूचकांक है। जी . डी . आई . में महिला तथा पुरूष में आधारभूत आवश्यकताओं के आधार पर असमानता को आँका जाता है। जीईएम ( GEM ) एक ऐसा सूचक है जिसके द्वारा महिला की राजनीतिक सहभागिता , आर्थिक सहभागिता तथा आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण को मापा जाता है। भारतीय मानव विकास रिपोर्ट में 2007-08 में राजस्थान का मानव विकास सूचकांक मूल्य 0.434 तथा भारत में रैंक 17 है। भारत की 2007-08 में विश्व में मानव विकास सूचकांक मूल्य 0.467 है जो कि विश्व के देशों की अपेक्षा कम है।

सशक्तीकरण की प्रक्रिया महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शक्ति प्रदान करती है। शक्ति का आभास व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता को उत्पन्न करता है। इस अध्ययन में उत्तरदाताओं द्वारा क्षेत्र विशेष की समस्या को निगम की बैठक में उठाना , राजनीतिक बैठक का नेतृत्व करना , स्वयं के दल की किसी इकाई की अध्यक्ष , महिला का चयन राजनीतिक दल द्वारा राष्ट्रीय स्तर की बैठक में प्रदे श का प्रतिनिधित्व करने हेतु तथा महिलाओं के संस्था में किसी कमेटी की अध्यक्ष , क्षेत्र का नेतृत्व कर कॉलोनी की समस्या को सांसद / विधायक के समक्ष उठाना , संस्था में किसी सेमिनार / वर्कशाप का आयोजन आदि के आधार पर नेतृत्व विशेषताओं का अध्ययन किया गया है।

**राजनीतिक जागरूकता**

किसी भी व्यक्ति की राजनीतिक जागरूकता से तात्पर्य राजनीतिक परिदृश्य के बारे में ज्ञान से है। यह राजनीतिक संस्थाओं व प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी के साथ राजनीतिक व्यवस्था के प्रति समझ को प्रदर्शित करता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था व मूल्यों के प्रति चेतना विकसित करते है , उनमें रूचि लेते है तथा इसके फलस्वरूप व्यक्ति देश में हो रही विभिन्न राजनीतिक घटनाओं तथा परिवर्तन के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है। राजनीतिक जागरूकता का स्तर उच्च होना लोकतंत्र के सफल संचालन में दूरगामी परिणामों का घोतक है। भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के फलस्वरूप स्त्री - पुरूष समानता के प्रावधान है। महिला - पुरूष समानता के सिद्धान्त को कानूनी मान्यता के बावजूद भी आर्थिक , सामाजिक , सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में महिला भागीदारी कम है। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में महिलाओं की क्रियाशीलता सार्वजनिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में कम थी। भारत में महिलाओं को मताधिकार के पश्चात् महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता की स्थिति में परिवर्तन हुआ तथा भारत में राजनीतिक क्षेत्र में कुछ ही महिलाएँ सक्रिय हुई। महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में रूचि एवं सहभागिता बढ़ाने में भारतीय महिला संघ , भारतीय महिलाओं की राष्ट्रीय परिषद् तथा अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन संघों की ऐतिहासिक शुरूआत ने महिला मुद्दों को व्यापक राष्ट्रवादी स्वरूप प्रदान किया।

**वर्तमान माप ढाँचा:-**

निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच महिला प्रतिनिधित्व ईसीआई के आंकड़ों के अनुसार, देश भर में कुल 4896 विधायकों में से केवल 418 या 9% महिलाएं हैं। सांसदों में, लोकसभा में 65 (543 सांसदों में से 12.15%) और राज्यसभा में 10% या 23 (233 सांसदों में से 10%) महिला सांसद हैं। राज्य विधानसभाओं में, पश्चिम बंगाल में 34 (294 विधायकों में से), बिहार में 34 (243 विधायकों में से) और आंध्र प्रदेश में 14 (175 विधायकों में से) में महिला विधायकों की संख्या सबसे अधिक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 403 विधायकों में से 32 महिलाएँ हैं। और राजस्थान में 200 विधायकों में से 28 महिलाएँ हैं। प्रतिशत के संदर्भ में, राज्य विधानसभाओं में, महिला विधायकों का सबसे अधिक प्रतिशत 14% (243 विधायकों में से 34) के साथ बिहार से है, इसके बाद राजस्थान में 14% (200 विधायकों में से 28) हैं। महिला वोट और पश्चिम बंगाल 12% (294 विधायकों में से 34) के साथ। लोकसभा में 543 (88/) में से 484 सांसद पुरुषों द्वारा चुने गए और राज्यसभा में 233 (85) में से 210 पुरुष पुरुषों द्वारा चुने गए और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 403 (92%) में से 371, महाराष्ट्र में 277 पुरुष विधायक चुने गए। 288(96%), पश्चिम बंगाल 294 में से 260(78%), आंध्र प्रदेश 175 में से 161(92%), बिहार 243 में से 209(86%), तमिलनाडु 234 में से 217(93%), मध्य प्रदेश 230 में से 205 (89%) और गुजरात में 182 में से 166 (91%), कर्नाटक में 224 में से 221 (99%), राजस्थान में 200 में से 172 (86%), ओडिशा में 147 में से 140 (95%) और केरल में 140 में से 133 (95)। पहला पहलू जो हमने देखा वह यह था कि देश भर की राज्य विधानसभाओं में महिलाएं किस हद तक चुनी गईं। 29 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 4,120 विधायकों में से 7 प्रतिशत विधायकों के अंतर्गत कुल 280 महिलाएं थीं, जबकि लोकसभा में लगभग 12.15 प्रतिशत महिला सांसद थीं। सभी राज्यों में महिलाओं को नाममात्र का प्रतिनिधित्व दिया जा सकता था। साथ ही पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा में महिला विधायकों का प्रतिशत देश में सबसे अधिक (लगभग 12 प्रतिशत) है। आंकड़ों पर क्षेत्रवार नजर डालने पर कुछ आश्चर्य सामने आते हैं। कुछ राज्यों में महिला विधायकों का प्रतिनिधित्व नहीं है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और असम। सरकार के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व की प्रकृति गुणात्मक रूप से भिन्न प्रतीत होती है। लोकसभा में महिला सांसदों के प्रतिशत में वृद्धि देखी गई है (वर्तमान में 9 प्रतिशत से अधिक), जबकि राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व 7 प्रतिशत से कम है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के इस महत्वपूर्ण पहलू का गहन विश्लेषण करने की आवश्यकता है।

**भारतीय निर्वाचन प्रणाली का परिचय:-**

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसमें तीन स्तरीय शासन संरचना है: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और शहर/ग्राम सरकार। इन तीनों का चुनाव चुनाव आयोग की एक स्वतंत्र संस्था द्वारा किया जाता है जिसका गठन राज्य और केंद्र स्तर पर अलग-अलग किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर, सरकार के मुखिया, प्रधान मंत्री का चुनाव भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। दो को छोड़कर लोकसभा के सभी सदस्य, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जा सकता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा हर पांच साल में होने वाले आम चुनावों के माध्यम से सीधे चुने जाते हैं। दुनिया के अधिकांश अन्य लोकतंत्रों के विपरीत, भारत ने पहले चुनाव से ही महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया। भारतीय संसद के ऊपरी सदन, राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा के सदस्य, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद नामक दो निकायों के साथ समान संरचना मौजूद है। क्रमिक केंद्रीय और राज्य चुनावों के आंकड़ों से पता चलता है कि जब चुनावों में उनकी भागीदारी की बात आती है तो भारतीय लोकतंत्र वास्तव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन विधायिका और कार्यपालिका के रूप में महिलाओं की भागीदारी में काफी कमी है।

**भारत में चुनावी आंकड़े:-**

चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करता है, बनाए रखता है और समय-समय पर अद्यतन करता है, जो दिखाता है कि वोट देने का हकदार कौन है, उम्मीदवारों के नामांकन की निगरानी करता है, राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है, उम्मीदवारों के वित्तपोषण सहित चुनाव अभियान की निगरानी करता है। यह मीडिया द्वारा चुनाव प्रक्रिया के कवरेज की सुविधा भी देता है, उन मतदान केंद्रों को व्यवस्थित करता है जहां मतदान होता है, और वोटों की गिनती और परिणामों की घोषणा की देखभाल करता है। यह सब यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि चुनाव व्यवस्थित और निष्पक्ष तरीके से हो सकें। चुनावों के सभी आँकड़े मुख्य रूप से चुनाव आयोग द्वारा रखे जाते हैं, जिसमें मतदाताओं की भागीदारी के साथ-साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों की जानकारी भी शामिल होती है। भारत में मतदाता सूची चार चरणों के वर्गीकरण के आधार पर संकलित की जाती है। पूरे देश को 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में कई विधानसभा क्षेत्र होते हैं। एक विधानसभा क्षेत्र को आगे वार्डों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वार्ड में कई मतदान केंद्र (पीएस) होते हैं जो उस क्षेत्र में मतदान कराने के लिए व्यावहारिक रूप से सबसे छोटी प्रबंधनीय इकाई होते हैं। मतदान पैटर्न की जानकारी मतदान केंद्र स्तर पर एक फ़ील्ड के साथ जमा की जाती है जिसमें लिंग संबंधी जानकारी शामिल होती है। 16वें चुनाव में व्यापक डेटा एकत्र किया गया है जिसे डिजिटलीकरण के माध्यम से सार्वजनिक किया गया है। यह सरकार को मतदान केंद्र के स्तर पर चुनावों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की पहचान करने की अनुमति देता है जो आम तौर पर 1000 मतदाताओं के क्रम का होता है।

**तालिका 1:- हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव (2018) में विभिन्न राज्यों में महिलाओं के मतदान प्रतिशत के आंकड़े दिखाती है।**

| राज्य | महिला मतदाता | कुल | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 23899017 | 48467721 | 49.31 |
| बिहार | 17124395 | 35892459 | 47.71 |
| केरल | 9283321 | 17987124 | 51.61 |
| कर्नाटक | 14876307 | 31053583 | 47.91 |
| मध्य प्रदेश | 22046720 | 48740403 | 45.23 |
| राजस्थान Rajasthan | 12440783 | 27133776 | 45.85 |
| तमिलनाडु | 20331223 | 40644282 | 50.00 |
| उतार प्रदेश। | 36081818 | 81118615 | 44.48 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| पश्चिम बंगाल | 24704436 | 51662564 | 47.82 |
| कुल (भारत) | 260192272 | 554175255 | 46.95 |

(भारत का केंद्रीय चुनाव आयोग।)

भारत में महिला मतदाता कुल मतदाताओं का 47 प्रतिशत हैं, लेकिन हमारे देश में उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व का कोई समान अवसर नहीं है। यह भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बुरी स्थिति है।

**महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी:**

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को तीन अलग-अलग आयामों में मापा जा सकता है: एक मतदाता के रूप में उनकी भागीदारी, एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में उनकी भागीदारी और वास्तविक निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी। इन दो आयामों में से पहला आयाम चुनाव आयोग द्वारा पहले चुनाव से मापा और रिपोर्ट किया गया है जो कुछ अपवादों के साथ 1952 में हुआ था। मतदाता के रूप में महिलाओं की भागीदारी की जानकारी बूथ स्तर पर दर्ज की जाती है जो भारतीय चुनावी प्रणाली में सबसे छोटी संभव इकाई है। जो चुनाव सुधार हुए हैं, जिनमें संवेदनशील स्थानों पर चुनावों की रिकॉर्डिंग शामिल है, महिलाओं की भागीदारी की जानकारी पर उच्च स्तर के विश्वास के साथ भरोसा किया जा सकता है। यह जानकारी न केवल चुनावी प्रक्रिया के लिए सहायक है, बल्कि नीति निर्माताओं द्वारा कम महिला भागीदारी वाले क्षेत्रों की पहचान करने और उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, जहां पुरुषों के मतदान प्रतिशत और महिलाओं के मतदान प्रतिशत के बीच का अंतर 20% से अधिक है, वहां सरकार लड़कियों का स्कूल खोल सकती है। महिलाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि बनने का दूसरा पहलू भी सभी स्तरों की सरकारों में दर्ज किया गया है। हालाँकि भारत में देश के सभी महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं का रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन राजनीति में महिलाओं की समग्र भागीदारी बहुत संतोषजनक नहीं है।

**तालिका 2:- राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का मापन: (2018)**

| राज्य | लोकसभा | विधान सभा |
|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 7.00% | 8.16% |
| असम | 14.29% | 11.90% |
| बी आई एच ए | 7.50% | 14.81% |
| छत्तीसगढ़ | 9.09% | 11.11% |
| गोवा | 0.00% | 2.50% |
| गुजरात | 15.38% | 6.59% |
| हरयाणा | 0.00% | 10.00% |
| हिमाचल प्रदेश | 0.00% | 4.41% |
| जम्मू एवं कश्मीर | 16.67% | 3.45% |
| झारखंड | 0.00% | 9.88% |
| कर्नाटक | 3.57% | 1.33% |
| केरल | 5.00% | 5.00% |

| | | |
|---|---|---|
| मध्य प्रदेश | 17.24% | 13.48% |
| महाराष्ट्र | 10.42% | 3.82% |
| ओडिशा | 9.52% | 4.76% |
| पंजाब | 7.69% | 11.97% |
| राजस्थान Rajasthan | 4.00% | 14.00% |
| तमिलनाडु | 10.26% | 7.26% |
| त्रिपुरा | 0.00% | 8.33% |
| उतार प्रदेश। | 16.25% | 8.93% |
| उत्तराखंड | 20.00% | 7.14% |
| पश्चिम बंगाल | 28.57% | 11.56% |

(भारत का केंद्रीय चुनाव आयोग।)

आयोग ने आवश्यकता, वित्तीय निहितार्थ और डेटा स्रोतों का अध्ययन करने की दृष्टि से पहचाने जाने योग्य स्रोतों से वांछित डेटा की उपलब्धता स्थापित करने के लिए 2013-18 में एक राष्ट्रव्यापी पायलट योजना शुरू की। राजनीति में भाग लेने वाली महिलाओं को महिला आधारित मुद्दों की बेहतर समझ होती है और सरकारी कामकाज की जानकारी के बारे में उनकी जागरूकता देश में लैंगिक समानता लाने के संदर्भ में समाज को बेहतर समाधान प्रदान करती है। एक बार जब राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर गुणात्मक डेटा प्राप्त हो जाता है और उसका उचित विश्लेषण किया जाता है, तो योजनाकार महिला सशक्तिकरण के प्रभाव को बढ़ाने के लिए महिला सशक्तिकरण पर और अधिक कार्यक्रमों को आकार दे सकते हैं।

**महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को मापने में चुनौतियाँ: -**

मतदान प्रतिशत और विधायिका के चुनाव के आधार पर राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का मापन अपेक्षाकृत आसान है। निर्णय लेने की प्रक्रिया और जागरूकता कार्यक्रमों में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी का अनुमान लगाना चुनौती है और महिला शिक्षा में वृद्धि अब ऐसी घटनाओं पर ध्यान दे रही है और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ रही है।

**निष्कर्ष: -**

निष्कर्षत, जबकि राजस्थान में चुनावी राजनीति परंपरागत रूप से पुरुष-प्रधान रही है, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के प्रयास धीरे-धीरे सफल हो रहे हैं। स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण एक महत्वपूर्ण कदम रहा है, लेकिन अंतर्निहित चुनौतियों का समाधान करने और सभी स्तरों पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अधिक लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। भारत में अपनी स्वतंत्रता के बाद से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को मापने का एक समृद्ध इतिहास रहा है। पिछले दो दशकों से हो रहे शासन के विकेंद्रीकरण ने निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी को मापने का महत्व बढ़ा दिया है। सभी योजनाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई बजट निर्धारित करके महिलाओं और लड़कियों के समावेशी विकास के लिए उचित लिंग बजट पर पहले ही काम किया जा चुका है। भारत सरकार का विभिन्न सामाजिक संकेतकों को मापने और नीतिगत हस्तक्षेप के लिए उपयोग करने के लिए वास्तविक समय डेटा का उपयोग करने पर बहुत जोर है। महिलाओं की भागीदारी पर अधिक प्रतिक्रियाशील डेटा के साथ, बेहतर लैंगिक बजट पहल का उद्देश्य देश को लैंगिक समानता वाले समाज की ओर ले जाना है।

**संदर्भ**


1. रंगराजन, सी. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की रिपोर्ट 2001: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।
2. भारत निर्वाचन आयोग चुनाव सांख्यिकी पॉकेट बुक 2014: भारत निर्वाचन आयोग।
3. अरुण. रश्मि पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका 1996: प्रशासक
4. ठाकुर, मिन्नी पंचायती राज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण 2010: कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग हाउस।
5. पाई, एस महिला और पंचायती राज, कानून, कार्यक्रम और प्रथाएं: ग्रामीण विकास जर्नल।
6. जनगणना रिपोर्ट 2011.
7. विबुथिपटेल. राजनीति में पैर जमाना, राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाएं, सामाजिक कार्रवाई खंड 65, संख्या 1। जनवरी–मार्च, 2005. पृ. 40.
8. नारायण जया प्रकाश, शेठ महिला आरक्षण के लिए सरकारी विधेयक का विकल्प, मानुषी, संख्या 116,2000.पीपी7
9. शर्मा , प्रज्ञा . ( 2011). " भारतीय समाज में नारी . " जयपुर : पॉइंटर पब्लिशर्स , पेज - 162.
10. चोपड़ा , पी . एन . पुरी , बी . एन . , दास एम . एन . ( 2005 ) . " भारत का सामाजिक , सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास . " दिल्ली : मेकमिलन इंडिया लि . पेज - 259.
11. शर्मा , गोपीनाथ . ( 2008). " राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास . " जयपुरः राजस्थान हिंदी ग्रथ अकादमी . पेज - 119.
12. शर्मा , कालूराम . ( 2004). " उन्नीसवीं सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन . " जयपुरः राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी , पेज - 125.
13. जैन , हुकुमचंद एवं माली , नारायण . ( 2011). " राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति : एनसाइक्लोपीडिया . " जयपुर : जैन प्रकाशन मंदिर . पेज - 548.
14. अंसारी , एम . ए . ( 2010). " महिला व मानवाधिकार " जयपुर : ज्योति प्रकाशन।
15. कैथवास , सावित्री . ( 2009). " अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के राजनैतिक सशक्तीकरण की प्रक्रिया में आ रही बाधांए : नए पंचायतीराज के विशेष सन्दर्भ में , " ग्रामीण विकास , जनवरी - जून . 25, पेज - 30.
16. शर्मा , प्रज्ञा . ( 2011). " महिला विकास और सशक्तीकरण . " जयपुर : आविष्कार पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स।